भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1369
दिनांक 11.02.2025 को उत्तरार्थ

पंचायती राज संस्थाओं की जवाबदेही

1369. श्री संजय हरिभाऊ जाधवः

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आगामी पांच वर्षों के दौरान पंचायती राज प्रणाली के विकास के लिए सरकार का विजन और प्राथमिकताएं क्या हैं:

(ख) पर्याप्त अवसंरचना, कर्मचारी और वित्तीय संसाधन सहित "पंचायती राज संस्थान (पीआरआई)" के प्रभावी कार्यकरण के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं:

(ग) स्थानीय प्रशासन और विकास में पारंपरिक ज्ञान और प्रथाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं: और

(घ) पीआरआई की जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने और इसके कार्य-निष्पादन की निगरानी और मूल्यांकन के लिए संस्थागत तंत्र को सुद्दढ़ करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पंचायती राज राज्यमंत्री

(प्रो. एस.पी. सिंह बघेल)

(क) से (घ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची के संदर्भ में पंचायत, 'स्थानीय सरकार" होने के कारण राज्य का विषय है। पंचायतों को, संविधान के प्रावधानों के अधीन, राज्यों के पंचायती राज अधिनियमों, जो राज्य दर राज्य भिन्न-भिन्न हो सकते हैं, के अंतर्गत स्थापित और संचालित किया जाता है। पंचायतों का कार्य-निष्पादन और विकास संबंधित राज्यों द्वारा उन्हें सौंपी गई शक्तियों और संसाधनों की सीमा पर निर्भर करता है। तदनुसार, पंचायती राज संस्थानों के प्रभावी कामकाज, लोगों के प्रति पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) की जवाबदेही सुनिश्चित करने, इसके प्रदर्शन की निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए संस्थागत तंत्र को सुद्दढ़ करने सहित पंचायतों से संबंधित सभी मामले राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। पंचायतों और उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों को ग्रामीण परिवर्तन का आधार बनाना, पंचायतों को विभिन्न विषयो से सम्बद्ध सेवा प्रदायगी का केंद्र बनाना और पंचायतों द्वारा स्वय की आय के संसाधनों को विकसित करना अगले पांच साल के लिए पंचायती राज प्रणाली के विकास के लिए सरकार की प्राथमिकता है।

जहां तक पंचायती राज मंत्रालय का सवाल है, यह मंत्रालय ई-पंचायतों हेतु मिशन मोड परियोजना (एमएमपी-ई-पंचायत) लागू कर रहा है, जो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) योजना का एक केंद्रीय घटक है, जिसके तहत पीआरआई के कामकाज में दक्षता, जवाबदेही और पारदर्शिता लाने के लिए और इसके समग्र परिवर्तन के लिए विभिन्न ई-गवर्नेंस परियोजनाओं को पंचायतों के डिजिटलीकरण की दिशा में वित्त पोषित किया जाता है। संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) को वित्तीय वर्ष 2022-23 से राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रो में लागू किया है जिसका मुख्य उद्देश्य सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों और अन्य

हितधारकों को नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए अपनी शासन क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के माध्यम से पंचायती राज संस्थानों को सक्षम बनाना है ताकि ग्राम पंचायतें प्रभावी ढंग से काम कर सकें | योजना के तहत, मंत्रालय ग्राम पंचायतों के प्रभावी कामकाज जैसे कि ग्राम पंचायत भवनों का निर्माण, कंप्यूटर और उत्तर पूर्व राज्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए ग्राम पंचायत भवनों के साथ सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) का संयोजन,के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सीमित पैमाने पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को बढ़ावा देता है, जैसा कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपनी वार्षिक कार्य योजनाओं में प्रस्तावित किया और बाद में केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित किया गया। मंत्रालय योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए वार्षिक कार्य योजना में अनुमोदित राज्यों, जिला और ब्लॉक स्तर पर परियोजना प्रबंधन इकाइयों (पीएमयू) की स्थापना के लिए संशोधित आरजीएसए की योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भी सहायता प्रदान कर रहा है और पंचायतों की क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण का समर्थन करने के लिए राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर के पंचायत संसाधन केंद्रों के रूप में संस्थागत तंत्र की स्थापना कर रहा है।

देश भर में पंचायती राज संस्थाओ के कामकाज को मजबूत करने के लिए, इस मंत्रालय ने एक उपयोगकर्ता के अनुकूल वेब-आधारित पोर्टल ई-ग्रामस्वराज (https://egramswaraj.gov.in) लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य विकेंद्रीकृत योजना, प्रगति रिपोर्टिंग, वित्तीय प्रबंधन, कार्य-आधारित लेखांकन और सृजित संपत्तियों के विवरण में बेहतर पारदर्शिता लाना है। राज्यों द्वारा पंचायती राज संस्थाओ को केंद्रीय वित्त आयोग की धनराशि के ऑनलाइन हस्तांतरण और पंचायतों को विक्रेताओं/सेवा प्रदाताओं को वास्तविक समय पर भुगतान करने में सक्षम बनाने के लिए ई-ग्रामस्वराज पोर्टल को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के साथ भी एकीकृत किया गया है। पंचायतें अपनी वार्षिक पंचायत विकास योजनाएँ तैयार करके ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर अपलोड करती हैं। योजना वर्ष/वित्त वर्ष 2024-25 के लिए, 2.54 लाख ग्राम पंचायतों ने अपनी वार्षिक विकास योजनाएँ (जीपीडीपी) तैयार की हैं और ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर अपलोड की हैं। इसके अलावा, मंत्रालय ने पंचायत खरीद में पारदर्शिता लाने के लिए ई-ग्रामस्वराज को गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) के साथ एकीकृत किया है। यह एकीकरण पंचायतों को "वोकल फॉर लोकल" पहल को बढ़ावा देते हुए ई-ग्रामस्वराज प्लेटफॉर्म के माध्यम से GeM द्वारा वस्तुएं और सेवाएं खरीदने की अनुमति देता है।

इसके अतिरिक्त, पंचायत खातों के ऑनलाइन ऑडिट और उनके वित्तीय प्रबंधन के लिए एक ऑनलाइन एप्लिकेशन- 'ऑडिटऑनलाइन' विकसित किया गया है। ऑडिटऑनलाइन पोर्टल, जो अप्रैल 2020 में लॉन्च किया गया, केंद्रीय वित्त आयोग के धन के उपयोग की पारदर्शी ऑडिटिंग की सुविधा प्रदान करता है और पंचायतों के वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करता है। इसी प्रकार, पंचायत निर्णय (NIRNAY) एक ऑनलाइन एप्लिकेशन है जिसका उद्देश्य पंचायतों द्वारा ग्राम सभाओं के संचालन में पारदर्शिता और बेहतर प्रबंधन लाना है।

मंत्रालय में ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ गांवों का सर्वेक्षण और मानचित्रण की केंद्रीय क्षेत्र की योजना 'स्वामित्व (SVAMITVA)' लागू की गई है जो गांवों में घर रखने वाले ग्रामीण परिवारों को 'अधिकारों का रिकॉर्ड' प्रदान करती है।साथ ही, यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति मुद्रीकरण की सुविधा प्रदान करने के अलावा, पंचायतों को संपत्ति कर का आकलन और संग्रह करने में राजस्व के अपने स्रोतों को बढ़ाने के अपने प्रयास में सक्षम बनाती है। अब तक, 31 राज्य और संघ राज्य क्षेत्र इस योजना से जुड़ चुके हैं।

***